

का अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है याकी
वास्तो साक्ष्य वादी मे दिनांक 30-9-25 को पेश हो।

09-25 पत्रावली पेश हुई दि. 30-9-25 का अवकाश होने से

~~पत्रावली पुर्ननुसार दि. 17-11-25~~
को पेश हो।

17-11-25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे
वकील वादी साक्ष्य हेतु वादी गवाह पेश करने का
अवसर चाहते हैं। अवसर पूर्व मे कई दिये जा चुके हैं।
अब न्यायहित मे अन्तिम अवसर दिया जाता है।
पत्रावली वास्तो साक्ष्य वादी मे दिनांक 25-11-25 को
पेश हो।

25-11-25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
मे वकील वादी साक्ष्य हेतु वादी साक्ष्य पेश करने
का अवसर चाहते हैं। प्रकरण मे वादी साक्ष्य पेश
करने के दिनांक 2-6-25 से अवसर दिये जा रहे हैं।
पूर्व मे गत पेशी पर अन्तिम अवसर दिया गया
था। किन्तु इसके पश्चात भी प्रकरण मे वादी की
साक्ष्य प्रस्तुत नही कि गई, प्रकरण घोषणा निषेधाज्ञा
एवं बटवारा का है, जो वादी गण द्वारा पेश किया
गया है। किन्तु वादी गण अपने वाद पत्र के प्रति
बुझाव नही है। ऐसी स्थिति मे वादी की साक्ष्य बन्द
कि जाती है। प्रकरण मे साक्ष्य वादी बन्द होने से
दस्तावेज प्रदर्श नही हो सकते हैं। ऐसी स्थिति
मे वादी गण का वाद अधा 88-188-53 RTA
का अदम साक्ष्य अदम सबूत मे खारिज किया
जाता है। पत्रावली पेश ल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।